शिक्षा का अधिकार

समग्र शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2025 / 1898 भोपाल, दिनांक 25/04/2025

प्रति,

1- **समस्त जिला कलेक्टर,मध्यप्रदेश**

2- **समस्त जिला परियोजना समन्वयक,**
जिला शिक्षा केन्द्र,मध्यप्रदेश

विषयः– शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबध में।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों क`निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से सत्र 2025–26 के निःशुल्क प्रवेश की निम्नानुसार कार्यवाही की जाना है।

1–**निःशुल्क प्रवेश प्रकिया हेतु की जाने वाली कार्यवाहीः**–प्रवेश हेतु पात्र इच्छुक आवेदक अपने ग्राम / वार्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में पोर्टल पर कक्षावार प्रर्दशित स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु अपनी समग्र आईडी एवं आधार सत्यापन करके ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेगे। आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केन्द्र पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये आवेदको को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से अशासकीय स्कूल का आवंटन किया जायेगा जिसकी समय सारणी निम्नानुसार हैः–

क.	गतिविधियॉ	समय–सीमा
1	निःशुल्क प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीट का पोर्टल पर प्रर्दशन	**दिनांक 05-05-2025 से**
2	पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार	दिनांक 07.05.2025 से दिनांक 21.05.2025 तक
3	आवेदन पश्चात सत्यापन केन्द्र (शासकीय जनशिक्षा केन्द्र) में सत्यापन कराना	दिनांक 07.05.2025 से दिनांक 23.05.2025 तक
4	**रेण्डम पद्वति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदको को एसएमएस द्वारा सूचना।**	दिनांक 29.05.2025
5	आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग	दिनांक 02.06.2025 से दिनांक 10.06.2025 तक

प्रथम चरण के उपरांत रिक्त रह गयी सीटों में द्वितीय चरण के माध्यम से आवंटन किया जायेगा।

2. **प्रवेश के लिये पात्रता एवं दस्तावेजः–**शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अनुसार कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु पात्रता तथा दस्तावेज के संबंध में निर्देश।

2.1 प्रवेश के लिये पात्रताः–

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत ऐसे बच्चे पात्र होगें जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से संबंधित होः–

वंचित समूहः–

- अनुसूचित जाति,
- अनूसूचित जनजाति,
- वनभूमि के पट्टाधारी परिवार,
- विमुक्त जाति
- निःशक्त बच्चे (मेंडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार)
- HIVग्रस्त बच्चे

कमजोरवर्गः–

- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे
- अनाथ बच्चे (राज्य शासन द्वारा अनाथबच्चों को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है)
- कोविड–19 से माता–पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चो की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खादय सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही। इस योजना में निम्नलिखित आवेदक पात्र होगेः–
  1 परिवार से अभिप्राय पति–पत्नि और उन पर आश्रित बच्चों से है,
  2 माता–पिता की कोविड–19 से मृत्यु हुई हो या
  3 माता पिता का निधन पूर्व में हो गया था उनके वैध अभिभावक की कोविड–19 से मृत्यु हुई हो या
  4 माता–पिता में से किसी एक का पूर्व मे निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड–19 से मृत्यु हुई है।
  5 कोविड–19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई।
  6 बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अन्तर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

2.2 आयु सीमा के संबंध में पात्रता :–

नवीन शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा अनुरूप आयु निर्धारित की गयी है नवीन शिक्षा नीति के अनुसार आवेदन करने हेतु कक्षा अनुरूप स्कूलों में प्रवेश हेतु आयु निम्नानुसार होगी। सत्र 2025–26 के प्रवेश हेतु आवेदक की आयु की गणना हेतु प्री–प्रायमरी कक्षाओं (नर्सरी, के.जी. 1, के.जी. 2) के लिये न्यूनतम आयु की गणना, 31 जुलाई 2025 तथा कक्षा 1 के लिये 30 सितम्बर 2025 की स्थिति में जायेगी।

क्रमांक	प्रवेश हेतु कक्षा	निर्धारित आयु
1	**नर्सरी**	न्यूनतम आयु 03 वर्ष एवं अधिकतम आयु 04 वर्ष 06 माह
2	**केजी–1**	न्यूनतम आयु 04 वर्ष एवं अधिकतम आयु 05 वर्ष 06 माह
3	**केजी–2**	न्यूनतम आयु 05 वर्ष एवं अधिकतम आयु 06 वर्ष 06 माह
4	**कक्षा–1**	न्यूनतम आयु 06 वर्ष एवं अधिकतम आयु 07 वर्ष 06 माह

सत्यापन के समय आयु के संबंध में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, मूल प्रति से मिलान न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदन अपात्र माना जायेगा।

2.3 प्रवेश के लिये आवश्यक दस्तावेज :–

वंचित समूह

2.3.1 वंचित समूह में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति/विमुक्त जाति के लिए बच्चोंके पालक/अभिभावक के राशन कार्ड में उल्लेखित जाति या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/विमुक्त जाति होने का उल्लेख हो प्रारंभिक दस्तावेज मान्य होगा।

2.3.2 यदि किसी बच्चे के भाई/बहन का जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। यदि पालक/अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया के दस्तावेज मान्य होंगे।

2.3.3 विमुक्त जाति (विमुक्त जाति में शामिल है–बंजारा, हाबुडा, भाटु, चन्द्रवेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, बनछड़ा, मोघिया, कालबेलिया, भानमत, बगरी, नट, पारधी, बेदिया,कुचबंदिया, बिजोरिया,कबूतरी,सन्धिया,पासी, धनगर एवं सनोरिया)में शामिल पालक के बच्चे।

2.3.4 बच्चों के पालक/अभिभावक के नाम जारी वनग्राम का पट्टा या वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा।विकलांग बच्चों के लिए जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा।

2.3.5 HIV ग्रस्त बच्चे होने की स्थिति में बच्चे का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडीकल प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा।

2.4 कमजोर वर्ग

2.4.1 कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार शामिल है। अतः पालक/अभिभावक के नाम जारी वर्तमान मे वैधजीवित बीपीएल कार्डबच्चों के प्रवेश के लिए मान्य होगा। यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम है तो यह दस्तावेज मान्य होगा। आवेदक का बीपीएल कार्ड जिस जिले का है केवल उसी जिले में प्रवेश आवेदन हेतु मान्य

होगा।सत्यापन अधिकारी का दायित्व है कि आवेदक उसके द्वारा जिसे पात्र किया जा रहा है उसका वैध एवं जीवित बीपीएल कार्ड हो।

2.4.2 शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है। इनके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

2.4.3 राज्य शासन द्वारा कोविड–19 से माता–पिता / अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुऐ बच्चो की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत ऐसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शामिल किया गया है। योजना से संबंधित महिला बाल विकास विभाग से जारी आदेश क्रमाक 1373 / 2021 / 50–2 भोपाल दिनांक 21.05.2021 अनुसार कार्यवाही की जाये।

2.5 निवास का प्रमाण पत्र :–

निवास प्रमाण पत्र के रूप में पालक / अभिभावक के निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होंगेः–

1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
2. मतदाता परिचय पत्र,
3. राशन कार्ड / पात्रता पर्ची / समग्र पर्ची,
4. ग्रामीण क्षेत्र का जाबॅ कार्ड (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना),
5. पासपोर्ट / ड्राइविंग लायसेन्स / बिजली बिल / पानी बिल,
6. कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक / अभिभावक के निवास का पता अंकित हो।

यदि पालक / अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो परिवार के मुखिया के नाम के शासकीय दस्तावेज मान्य होगें।

2.6 जन्मतिथि के संबंध में पात्र दस्तावेज :–

2.6.1 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।

2.6.2 जहां जन्म,मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1886(1886का 6) के अधीन जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो वहां स्कूल में प्रवेश के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों मे से कोई एक दस्तावेज बालक की आयु का सबूत माना जायेगा–

(क) अस्पताल / सहायक नर्स तथा प्रसाविका मिडवाइफ(ए.एन.एम.) का रजिस्टर रिकार्ड,

(ख) आंगनवाडी का रिकार्ड,

(ग) पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्व घोषणा पत्र (बशर्ते कि बच्चे के पालक या अभिभावक को बच्चे की जन्मतिथि के सत्यापन का प्रमाणपत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी, नगरीय स्थानीय निकाय या पंचायत जहां कि वह रहता है / रहती है के निर्वाचित किसी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से प्रवेश के छः माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में प्रवेश निरस्त माना जावेगा।)

3. प्रचार प्रसारः–

3.1 अधिनियम के इस प्रावधान का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये। इसके तहत अशासकीय स्कूल द्वारा स्वयं की वेब साइट,नोटिस बोर्ड एवं सार्वजनिक स्थलो पर विज्ञापन द्वारा प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जायें। इसके अतिरिक्तजिला/विकासखंड/संकुल स्तर पर भी इसका प्रचार–प्रसार इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं प्रचार प्रसार के माध्यमोंसे किया जाये, जिससे वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के अधिक से अधिक बच्चे अधिनियम के इस प्रावधान से लाभान्वित हो सकें।

3.2 अधिनियम के इस प्रावधान के संबध में जनप्रतिनिधियों एवं आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को अधिनियम के प्रावधानो की जानकारी दी जाये एवं उनका सहयोग प्राप्त किया जाये।

4. निःशुल्क प्रवेश हेतु कक्षावार उपलब्ध स्कूलों का प्रदर्शनः–

4.1ग्राम/वार्ड, पडोस तथा विस्तारित पडोस :–प्रवेश की प्रकिया में पडोस एवं विस्तारित पडोस का निर्धारण करने हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलका मान्यता आवेदन में जिस ग्राम/वार्ड में स्थित दर्शाया गया है उस ग्राम/वार्ड के आधार पर उसके पडोस तथा विस्तारित पडोस को म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम,जीआईएस विभाग के उपलब्ध जीआईएस डाटा का उपयोग करते हुये प्रदर्शित किया जायेगा।जीआईएस के माध्यम से ग्राम/वार्ड का पडोस तथा विस्तारित पडोस स्वतः ही प्रर्दशित होता है। **आवेदक ग्राम/वार्ड के स्कलों को ही प्राथमिकता से चयन करें। ग्राम/वार्ड में स्कूल उपलब्ध नही होने पर ही पडोस एवं अंतिम विकल्प के रूप में विस्तारित पडोस के स्कूलों का चयन करें , क्योकि ऑनलाइन लॉटरी प्रकिया में प्रथम वरीयता में आवेदक जिस ग्राम/वार्ड का निवासी है उसी ग्राम/वार्ड के स्कूलों में आवंटन किया जाता है। विस्तारित पडोस में स्थित स्कूलों में आवंटन के अवसर न्यूनतम होते है। आवेदक स्कूल चयन करते समय अपने निवास से दूरी अवश्य चेक कर लें तभी दूरी के स्कूलों का चयन दर्ज करें।**

4.2 निःशुल्क प्रवेश हेतु स्कूलों का प्रदर्शनः–नवीन शिक्षा नीति अनुसार वर्तमान में यूडाइस पोर्टल पर शासकीय/अशासकीय स्कूलों का नामांकन, छात्र का पूर्ण विवरण प्रोफाइल सहित दर्ज किया जाना अनिवार्य किया गया है। इसके तहत यूडाइस पोर्टल पर स्कूल द्वारा स्वयं नामांकन संबंधी जानकारी दर्ज की गई है। इस हेतु कार्यालयीन पत्र कमांक/राशिके/आरटीई/2025/1243 भोपाल दिनांक 20.03.2025 एवं पत्र कमांक/राशिके/आरटीई/2025/1766 भोपाल दिनांक 17.04.2025 के माध्यम से अशासकीय स्कूलों को कक्षावार अध्ययनरत बच्चों की प्रोफाईल एवं त्रुटि रहित नामांकन दर्ज कराने हेतु निर्देश जारी कर अवगत कराया गया है। अशासकीय स्कूल द्वारा ली गयी मान्यता में स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में निःशुल्क प्रवेश होगा। शिक्षा का अधिकार 12(1)(सी) के तहत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु सत्र 2024–25 में यूडाइस पोर्टल पर अशासकीय स्कूलों द्वारा दर्ज किये गये नामांकन का उपयोग किया जायेगा।

4.3 निम्न अशासकीय स्कूलों को प्रवेश प्रकिया में सम्मलित नही किया गया है:–

1. स्कूल जिसकी मान्यता 2025–26 या उससे आगामी सत्रों की नही है।
2. स्कूल की मान्यता अनुसार स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा–6 है।
3. मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों को प्रवेश प्रकिया से मुक्त रखा गया है।
4. सत्र 2025–26 में जिस स्कूल को नवीन मान्यता प्राप्त हुयी है उन नवीन स्कूलों में अभी अन्य बच्चों के प्रवेश नही होने से, स्कूल संचालित होने की पुष्टि नही होने तथा यूडाइस में नामांकन शून्य होने के कारण प्रवेश प्रदान किया जाना संभव नही है।
5. जिन स्कूल द्वारा आगामी सत्र से स्कूल संचालन नही करने का आवेदन आरटीई पोर्टल पर दर्ज किया गया है अथवा जिला परियोजना समन्वयक द्वारा यह सुनिश्चित करने के उपरांत की स्कूल संचालित नही हो रहा है इसके उपरांत स्कूल को बंद स्कूल के रूप में लॉक किया गया है।

5. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया :–

निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे, कोई ऑफलाइन आवेदन मान्य नही होगा। अतः आवेदक द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा प्रायवेट स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की जाये।आवेदक आरटीई पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं ही ऑनलाइन दर्ज कर सकते है।

5.1 आवेदन पत्र का प्रारूप आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी पासवर्ड या बगैर शुल्क के डाउनलोड किया जा सकता है। संलग्न प्रारूप (**परिशिष्ट–1अनुसार**)

5.2 आवेदकों द्वारा निःशुल्क प्रवेश हेतु अपना आवेदन पत्र आरटीई पोर्टलhttp://rteportal.mp.gov.in है,दर्ज किया जा सकेगा। एक आवेदक केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र होगा। ऑनलाइन आवेदन में कम से तीन स्कूलों को विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा एवं अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक के स्वयं के ग्राम/वार्ड, पड़ोस अथवा विस्तारित पड़ोस में तीन से कम अशासकीय स्कूल है तो तीन से कम स्कूल आवेदन में दर्ज करने की छूट रहेगी।

5.3 आवेदक द्वारा आवेदन में स्कूलों के नाम प्राथमिकता क्रम से दर्ज किये जाये। स्कूलों का चयन करते समय आवेदक अपनी प्राथमिकता को भलीभॉति सुनिश्चित करने के उपरांत ही अपना आवेदन पोर्टल पर लॉक करे।

5.4 **ऑनलाइन आवेदन मे आवेदक ध्यानपूर्वक ही स्कूलो का प्राथमिकता क्रम दर्ज करें। वर्ष 2025 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत याचिका डब्ल्यूपी 6336/25 के अनुपालन में जिन अशासकीय स्कूलों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन मान्यता प्रदान की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा शासन के पक्ष में निर्णय पारित होने पर ऐसे स्कूलों की मान्यता निरस्त हो सकती है। अतः प्रवेश के समय ऐसे स्कूल के चयन में पालकों द्वारा सावधानीपूर्वक निर्णय लिया जाये। ऐसे स्कूलों की सूची संबंधित जिले के जिला शिक्षा केन्द्र, बीआरसीसी कार्यालय तथा जनशिक्षा केन्द्र पर चस्पा की जायेगी।**

5.5 आवेदन फार्म के साथ आरक्षित कोटा से संबंधित दस्तावेज स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किया

जाना अनिवार्य है। आवेदक सुनिश्चित करें कि दर्ज की जा रही जानकारी संपूर्ण रूप से सही हो, जिस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है वह पूर्णतः सत्य एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो। बीपीएल कार्ड धारी का जीवित वैध बीपीएल कार्ड होना चाहिए।

5.6 ऑनलाइन आवेदन पश्चात दस्तावेजों के परीक्षण के समय मूल दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। दर्ज जानकारी तथा मूल दस्तावेज में अंतर पाए जाने पर अपात्र किया जायेगा।

5.7 ऑनलाइन आवदेन के पश्चात यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि के अंदर सत्यापन केन्द्र पर जाकर सत्यापन नही कराता है तो उसका आवेदन स्वयं निरस्त हो जायेगा एवं ऑनलाइन लॉटरी प्रकिया में सम्मलित नही हो सकेगा।

5.8 आवेदक की यह जिम्मेदारी होगी कि आवेदन करने के पहले यह पुष्टि कर ले कि उसे प्रवेश की पात्रता है, अर्थात वह वंचित समूह अथवा कमजोर वर्ग की श्रेणी का है और वह संबधित स्कूल के ग्राम/वार्ड अथवा परिभाषित पड़ोस अथवा पड़ोस की विस्तारित सीमा के अंतर्गत निवासरत होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र है।

5.9 आवेदक द्वारा पोर्टल पर किये गये आवेदन की पोर्टल सेजनरेटड पावती को अपने पास सुरक्षित रखा जायें। सत्यापन केन्द्र में सत्यापन के समय यह आवेदन पावती होना अनिवार्य है।

5.10 यदि कोई आवेदक पूर्व से ही निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किसी अशासकीय स्कूल में निःशुल्क अध्ययनरत है तो वह ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदन नही करें अन्यथा उनका आवेदन निरस्त हो जायेगा।

6. आवेदनों में त्रुटि सुधार हेतु विकल्पः–

आवेदन लॉक करने के पूर्व अच्छी तरह से संतुष्ट हो जायें कि आवेदन में दर्ज समस्त जानकारी सत्य हो। आवेदक द्वारा ऑनलाइन पंजीकृत आवेदन मेंयदि कोई त्रुटि हो गई है, तो आवेदक अपने आवेदन में निर्धारित समयावधि में पोर्टल पर त्रुटि सुधार ऑप्शन मे जाकर त्रुटि सुधार कर सकते है।

6.1 आर.टी.ई. पोर्टल पर आवेदक को त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन की पावती की आवश्यकता होगी। पोर्टल पर त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक जानकारी दर्ज करने के पश्चात आवेदक के पास उनके द्वारा मूल आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर पर एक पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा,इस ओटीपी को दर्ज करते हुए आवेदक स्वतः अपने आवेदन में त्रुटि सुधार कर लॉक करेगे।

6.2 आवेदक को त्रुटि सुधार हेतु विकल्प, पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। यदि आवेदक निर्धारित समयावधि में त्रुटि सुधार नही करता है तो यह माना जायेगा कि आवदेक पोर्टल पर दर्ज आवेदन से संतुष्ट है। यदि कोई त्रुटि है तो जनशिक्षा केन्द्र में सत्यापन कराने के पूर्व त्रुटि सुधार कर लें। सत्यापन उपरांत तथा त्रुटि सुधार की निर्धारित तिथि के पश्चात त्रुटि सुधार नहींहोगा।

7. ऑनलाइन आवेदन के पश्चात सत्यापनः–

7.1 ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात पालक द्वारा आरटीई पोर्टल से आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जायेगा। इसकाप्रिंट 02 प्रति मे निकालकर निर्धारित स्थल पर सत्यापन की अवधि तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र तथा आवेदन प्राप्ति की ऑनलाइन पावती सहित कार्यालयीन समय में सत्यापन केन्द्रपर जाकर माता–पिता/अभिभावक द्वारा सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। मूल जन्म प्रमाण

47

पत्र, आरक्षित कोटा प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना अनिवार्य है। **मूल दस्तावेजो सत्यापन न कराये जाने पर आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।**

7.2सत्यापन के समय आवेदन में पंजीकृत मोबाइल नंबर–1 पर ओटीपी आयेगा इसलिये सत्यापन केन्द्र पर आवेदन में जो मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस मोबाइल को साथ में ले जाना अनिवार्य होगा। सत्यापन अधिकारी द्वारा ओटीपी मांगे जाने पर पालक द्वारा ओटीपी प्रदान किया जाये जिससे सत्यापन केन्द्र पर सत्यापन हो सके।

7.3 बीपीएल कार्ड का ध्यान पूर्वक परीक्षण करने के उपरांत जीवित वीपीएल कार्ड धारी होने पर ही सत्यापन उपरांत पात्र किया जाये।

7.4 सत्यापन अधिकारी,आवेदक द्वारा आवेदन में अंकित दस्तावेजो का आवेदक के मूल दस्तावेजो से सत्यापन करेगे। आवेदक ने आर.टी.ई. में निःशुल्क प्रवेश हेतु जिस निर्धारित कोटा/निवास क्षेत्र/आयु अनुसार जिस कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन किया है, उसका सत्यापन उस कोटे,आयु, आधार कार्ड एवं निवास से संबंधित मूल प्रमाण पत्र से किया जायेगा।सत्यापन हेतु आवेदक अपने नजदीकी किसी भी जनशिक्षा केन्द्र में जाकर सत्यापन करा सकते है।

7.5 सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल एप पर अपनी यूनिक आईडी तथा पासवर्ड से लॉगिन किया जायेगा एवं आवेदन पत्र में अंकित विवरण दर्ज किया जायेगा। सत्यापन केन्द्र पर जाने के पहले सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल एप को लॉगिन करके देख ले यदि एप पर लॉगिन नही हो रहा है तो अपना पासवर्ड रिसेट कर ले। यदि मोबाइल नंबर बदल गया है तो मोबाइल नंबर को जिला शिक्षा केन्द्र के माध्यम से अपडेट करा लें। मोबाइल एप से ही सत्यापन दर्ज किया जायेगा।यदि सत्यापन पंजीयन नही किया जाता है तो संबंधित सत्यापन अधिकारी व्यक्तिशः इसके जिम्मेदार होगे। सत्यापन उपरांत दस्तावेज सत्य पाये जानें पर आवेदक को अंतिम रूप ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मलित होने हेतु सत्यापन प्रपत्र में पात्र होने की पुष्टि कर हस्ताक्षर किये जायें।

7.6 यदि सत्यापन अधिकारी किसी भी प्रवेशार्थी को दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र नही पाता है, तो उसे अपात्र होने का कारण मोबाइल एप के माध्यम से दर्ज करना होगा साथ ही निर्धारित प्रपत्र में कारण दर्ज किया जायेगा।

7.7 सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा सत्यापन प्रपत्र की एक प्रति में हस्ताक्षर करके बी.आर.सी. कार्यालयकोरिकार्ड के रूप में प्रदान किया जाना अनिवार्य है।यह अभिलेख संबंधित बच्चे के रिकार्ड के रूप में बीआरसीसी कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा।

7.8 कोविड–19 से प्रभावित हुये अनाथ बच्चों को आवेदन उपरांत प्रथमतः शत प्रतिशत बच्चों को सीट आवटित की जाना है अतः इन बच्चों को तभी अपात्र किया जाये जब सत्यापन कर्ता अधिकारी पूर्ण रूप से जॉच करने के उपरांत अनाथ होने से संबधित कारण से संतुष्ट नही हो इस संबंध में यदि कोई सहायता/मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो सत्यापन अधिकारी द्वारा संबधित विकासखंड के विकासखंड श्रोत समन्वयक से संपर्क करने के उपरांत ही अपात्र किया जाये।

7.9आवेदक की समग्र आईडी जिस ग्राम/वार्ड की है उसी ग्राम/वार्ड अथवा पडोस या

विस्तारित पडोस के उपलब्ध स्कूलों में प्रवेश हेतु पात्रता है।

8. ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन :–

सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये आवेदको को ही ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रियामें सम्मिलित किया जायेगा। अतः आवेदन करने के पश्चात सत्यापन कराने अवश्य जाये अन्यथा आवेदन निरस्त हो जायेगा। केन्द्रीकृत, रेण्डमाइजेशन, पारदर्शी तरीके सेऑनलाइन लॉटरीके माध्यम से MPSEDC मध्यप्रदेश द्वारा छात्रों को चयनित अशासकीय स्कूल का आवंटन किया जावेगा।

8.1 सीट आवंटन के लिये प्रथम प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र होने पर उसी ग्राम तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड के बच्चों की होगी। इसी प्रकार उसी ग्राम/वार्ड के बच्चों के प्रवेश के उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो पड़ोस की सीमा (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम की सीमा से लगे हुए ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगे वार्ड, यदि कोई हो तो, तथा नगरीय क्षेत्र में वार्ड की सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम, यदि कोई हो तो) में निवासरत बच्चों को प्रवेश की पात्रता होगी। यदि इसके उपरांत भी सीटें रिक्त रह जाती है तो ही विस्तारित पड़ोस की सीमा के आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी। अतः आवेदक सर्वप्रथम अपने ग्राम/वार्ड में उपलब्ध स्कूलों का ही अधिकतम चयन करें।

9. आवेदक को स्कूल का आवंटन की सूचना तथा आवंटन पत्र डाउनलोड करनाः–

ऑनलाइनलॉटरी प्रक्रिया के उपरांत आवंटित स्कूल की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर परSMSके माध्यम से प्रदान की जायेगी। आवेदक अपना आवंटन पत्र पोर्टल से स्वयं ही डाउनलोड करेगे।

10. आवंटन पश्चात आवंटित स्कूल में प्रवेश एवं स्कूल द्वारा मोबाइल एप से एडमीशन रिपोर्टिंग :–

10.1ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयनित बच्चे द्वारा समय सीमा में आवंटन पत्र की प्रति, आरटीई कोटा का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आवेदन में दर्ज दो पासपोर्ट फोटो ग्राफ लेकर उनको आवंटित स्कूल में उपस्थित होना होगा। बच्चें के उपस्थित होने पर उसी समय स्कूल द्वारा अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से बच्चे की मोबाइल एप से फोटो लेकर एडमीशन रिपोर्टिंग की जायेगी।इसके पश्चात आवेदक के पास ओटीपी आयेगा आवेदक के द्वारा ओटीपी से पुष्टि करने पर प्रवेश मान्य होगा। जिन बच्चों की एडमीशन रिपोर्टिंग निर्धारित समयवाधि में संबधित अशासकीय स्कूल द्वारा की जायेगी उनका ही प्रवेश मान्य होगा।

10.2 जिस बच्चे को स्कूल का आवंटन होता है एवं वह स्कूल में निर्धारित समयावधि में प्रवेश हेतु उपस्थित तो होता है परन्तु मोबाइल एप से एडमीशन रिपोर्टिंग दर्ज करने की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा नही की जाती है, तो ऐसी स्थिति में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नही होने की समस्त जिम्मेवारी संबंधित अशासकीय स्कूल की होगी। उक्त स्कूल को पात्र आवंटी को प्रवेश प्रदान करते हुये शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुसार कक्षा–8 तक अध्यापन निःशुल्क कराना

अनिवार्य होगा। संबंधित स्कूल को छात्र के अध्यापन हेतु किसी भी प्रकार का भुगतान राज्य द्वारा वहन नही किया जायेगा।

10.3 आवंटित बच्चे को प्रवेश देने से यदि किसी स्कूल द्वारा मना किये जाने की स्थिति में संबंधित स्कूल के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध मे आवेदको को मदद प्रदान करने हेतु विकासखंड एवं जिला स्तर पर एक ऑनलाइन हेल्प डेस्क स्थापित की जाये।कृपया उक्त प्रकिया संबंधी निर्देश जिले में स्थित सभी गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों को प्रेषित करते हुये तथा सत्यापनअधिकारियों को सत्यापन करने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण करते हुये समुचित प्रचार–प्रसार के माध्यम से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार एवं पूर्ण पारदर्शी तरीके से समयावधि में प्रवेश की कार्यवाहीकराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–आवेदन पत्र प्रारूप

25/4/25

(हरजिंदर सिंह)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृष्ठाकंन क्रंमाक / राशिके / आरटीई / 2025 1899 भोपाल दिनांक 25/04/2025

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीम.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. आयुक्त, लोकशिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल।
4. आयुक्त जनसंपर्क विभाग म.प्र. भोपाल की और दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन बावत।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
6. आयुक्त, महिला बाल विकास विभाग, भोपाल म.प्र.
7. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
8. प्रबंध संचालक, डच्म्क्अरेरा हिल्स भोपाल की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही वावत।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले, म.प्र.।
10. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग म.प्र. ।
11. जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले म.प्र.।
12. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, समस्त जिले म.प्र.।
13. विकासखंड श्रोत समन्वयक,जनपद शिक्षा केन्द्र ,समस्त विकासखंड म.प्र. की ओर उपरोक्तानुसार कार्यवाही वावत।

25/4/25

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(C)के अंतर्गत कमज़ोर एवं वंचित समूह के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश हेतु आवेदन पत्र Year 2025-26

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

A. प्रवेशार्थी का विवरण कृपया संपूर्ण जानकारी **English Capital As in Adhar Card** लेटर मे भरे

1. परिवार की 8 अंको की समग्र फेमली आईडी **(अनिवार्य)**

2. प्रवेशार्थी का 9 अंको का समग्र आईडी **(अनिवार्य)**

4. पिता का समग्र आईडी

5 माता का समग्र आईडी

6. प्रवेशार्थी का 12 अंको का आधार नंबर (अनिवार्य)

B.प्रवेशार्थी के निवास एव संपर्क की जानकारी (पालक के वर्तमान निवास प्रमाणपत्र के अनुसार) केपीटल लेटर मे भरे

a) जिला..........................
b) जनपद पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगरनिगम ....
c) ग्राम पंचायत/जोन क्रमांक .... ग्राम/वार्ड...................
d) मोहल्ला/बसाहट..
e) मकान एवं.......................................पता...
f) सीट आवंटन की सूचना देने हेतु मोबाइल-1
g) सीट आवंटन की सूचना देने हेतु मोबाइल-2
h) ईमेल(यदि हो तो) ....

C. जन्म प्रमाणपत्र के अनुसार प्रवेशार्थी एवं उसके माता,पिता,अभिभावक की जानकारी केपीटल लेटर मे भरे

1) प्रवेशार्थी का प्रथम नाम
2) उपनाम (Surname)
3) जन्मतिथि DD/MM/YYYY दिनांक माह वर्ष
4) लिंग:- बालक / बालिका
5) पिता का नाम .... माता का नाम ....
6) Caste- General/OBC/SC/ST-------------

D. प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी संवर्ग:-श्रेणी का कोड दर्ज करें :-

1.वर्तमान स्थिति मे जीवित बीपीएल कार्डधारी परिवार(अन्तोदयकार्डधारी) 2.अनुसूचितजाति 3.अनुसूचितजनजाति 4.विमुक्तजाति 5.वनग्रामपटटाधारी 6.विकलांग(CWSN) 7. महिला एवं बालविकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथबच्चे 8. HIV ग्रस्त बच्चे

उपरोक्त श्रेणीयों (उपरोक्त सरल कंमाक 7,8 को छोड़कर) के संबध मे शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेशार्थी के माता या पिता अथवा अभिभावक के नाम पर जारीप्रमाण पत्र का विवरण

(i) क्रमांक.................. दिनांक माह वर्ष

जारीकर्ता कार्यालय एवं अधिकारी का पदनाम----------------

(ii) यदि प्रवेशार्थी विशेष आवश्कता (CWSN) केटेगरी का है तो जिला मेडिकल वोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्रानुसार विकंलागता का प्रतिशत%----------विकंलागता का प्रकार-----------[|]

(iii) यदि प्रवेशार्थी HIV ग्रस्त केटेगरी का है तो जिला मेडिकल वोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र क्रमांक....................दिनांक [|] माह [|] वर्ष [| | |]

(IV) कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चे का विवरण

बच्चे के माता–पिता / अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र

Covidbalkalyan.mp.gov.in पर पंजीयन का पंजीयन कंमाक......................

माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु दिनांक [|] माह [|] वर्ष- 2021

E. प्रवेश हेतु कक्षा -नर्सरी/ केजी-1/ केजी -2/ पहली(1) --------------------------

F. प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश हेतु आवेदित स्कूल चयन का विवरण प्राथमिकता क्रम अनुसार निम्नानुसार हैः-

सूचनाः–स्कूल का आवंटन सर्वप्रथम आवेदक जिस ग्राम / वार्ड का है उसके ग्राम / वार्ड के स्कूल ही चयन को प्राथमिकता के आधार पर चयनित करें। पडोस एवं विस्तारित पडोस के स्कूल में आवंटन होने की संभावना न्यूनतम होती है। सर्वप्रथम ग्राम / वार्ड के ही आवेदक को स्कूल का आवंटन होगा इसके पश्चात पडोस के आवेदक एवं अंतिम विकल्प के रूप में ही विस्तारित पडोस के स्कूल का आवंटन होगा।

स्कूल की प्राथमिकता क्रमांक	चयनित स्कूल का स्कूल आईडी (PS--------)	प्रवेश हेतु आवेदित स्कूल का नाम एवं पता (प्राथमिकता क्रमानुसार ही स्कूल के नाम दर्ज करें)
1	**2**	**3**
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

माता/पिता/अभिभावक द्वारा घोषणा

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में मेरे द्वारा दर्ज प्रवेशार्थी स्वयं के संबंध में दी गई समस्त जानकारी सही हैं। मेरे द्वारा एक ही आवेदन किया जा रहा है, अन्य आवेदन नहीं किया गया है। मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदक पूर्व में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में नि:शुल्क अध्ययन नहीं किया है एवं वर्तमान में अन्य किसी भी प्राइवेट स्कूल में अधिनियम की धारा 12(1)(C) के तहत नि:शुल्क

प्रवेशित नहीं है। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने की स्थिति के लिये मैं सदैव जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी। यदि किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी पायी जाती है तो मेरे बच्चे की सीट आवंटन निरस्त कर दी जाये एवं मेरे विरूद्व वैधानिक कार्यवाही के लिये में जिम्मेदार रहूंगा/रहूँगी।

आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक ....

(माता/पिता/अभिभावक) का नाम------------

आवश्यक सूचना-

1. आवेदक पूर्व में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में नि:शुल्क अध्ययन किया है अथवा वर्तमान में किसी भी प्राइवेट स्कूल में अधिनियम की धारा 12(1)(C) के तहत नि:शुल्क प्रवेशित है तो आवेदन करने हेतु पात्र नही है
2. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत पावती एवं सत्यापन प्रपत्र अपने पास सुरक्षित रखे।
3. आनलाइन आवेदन करने के पष्चात आवेदक द्वारा आरटीई पोर्टल से सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जायेगा एवं निर्धारित दिनांक तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र तथा आवेदन प्राप्ति की आनलाइन पावती सहित अपने आवेदन में चयन किये गये जनशिक्षा केन्द्र है वहा पर सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।
4. आनलाइन आवेदन के पश्चात निर्धारित समय में मूल दस्तावेजों सहित सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित समयावधि में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नही होने पर आवेदन निरस्त माना जायेगा।
5. सत्यापन के समय प्रवेशार्थी का नाम,माता, पिता का नाम, जन्म दिनांक, निवास के प्रमाण की जानकारी,आरटीई कोटा का अंकित जानकारी एवं मूल दस्तावेजो से मिलान न होने की स्थिति मे आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा।
6. आवेदन पत्र में मोबाइल नबर-1 दर्ज किया है सत्यापन के समय इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आयेगा अतः इस मोबाइल को साथ में ले जाना अनिवार्य है
7. एक प्रवेशार्थी द्वारा एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, यदि एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तो आवेदन निरस्त हो जायेगा।